

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/पेंशन-अ/34926/13

दिनांक :- 16.05.2019

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,

अति-आवश्यक

विषय :- लम्बित पेंशन प्रकरणों की मासिक समीक्षात्मक बैठक हेतु

उपरोक्त विषयान्तर्गत माह 30.04.2019 तक के सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की समीक्षा की गई। आपके मण्डल के अधीनस्थ बकाया पेंशन प्रकरणों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु वित्त विभाग के आदेश पं.10(13) वित्त/राजस्व/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 09.10.2014 एवं इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक शिविरा/मा/पें.स/34983/13/01 दिनांक 27.06.2013 एवं पेंशन नियम 1996 के निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है। जो राज्य कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

उक्त आदेशों की कठोरता से पालना करवाते हुए बकाया पेंशन प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करवाया जावे। जिन कार्मिकों/अधिकारियों को 02 माह से अधिक सेवानिवृत्त हुए हो गये हैं तथा जिनका पेंशन प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ है। उनकी सूची अलग से बनाकर मीटिंग में भिजवावे। माह अप्रैल, 2019 की एमपीआर प्रपत्र 1 से 8 तक आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

अतः निर्देशानुसार माह अप्रैल, 2019 तक के पेंशन प्रकरणों की समीक्षात्मक बैठक का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :-


क्र०स०	मण्डल/जि.शि.अ कार्यालय का नाम	बैठक दिनांक	बैठक स्थान एवं समय
1	जयपुर, उदयपुर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, चूरु, भरतपुर	27.05.2019	निदेशालय, बीकानेर प्रातः 11:30 बजे

उक्त कार्यक्रमानुसार उप निदेशक (मा०) कार्यालय के लेखाधिकारी/पेंशन प्रभारी बकाया पेंशन प्रकरण सूचना प्रपत्र 1 से 8 में लेकर बैठक में उपस्थित होंगे। निर्धारित 8 प्रपत्रों की सूचना में सभी व्याख्याताओं के नाम के सम्मुख उनके विषय का उल्लेख आवश्यक रूप से करें एवं जिन कार्मिकों के प्रकरण निस्तारण दिखाये गये हैं, उनके नाम के आगे पीपीओ नं० एवं दिनांक आवश्यक रूप से लिखें।

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कार्यालयों के पेंशन प्रभारी/अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों, माध्यमिक शिक्षा द्वारा भेजे गये पेंशन प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट बैठक में साथ लेकर उपस्थित होंगे तथा इसके साथ ही निम्नलिखित संस्थाओं की सूचना भी सम्बन्धित संयुक्त निदेशक अपने स्तर पर प्राप्त कर बैठक में प्रस्तुत करें।

1. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर/बीकानेर
2. प्राचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
3. प्राचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर

www.rajteachers.com


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर